बंपर बहाली • पीटी दिसंबर में और मेन्स फरवरी-मार्च में होगा

पहली बार बीपीएससी 70वीं संयुक्त परीक्षा में 1964 पदों पर होगी बहाली

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

बीपीएससी 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 1964 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए नवंबर में विज्ञापन निकलेगा। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में पीटी होगी। मेन्स फरवरी के अंतिम और मार्च के प्रथम सप्ताह में होगा। अंतिम चयन प्रक्रिया अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। मुख्य परीक्षा (मेन्स) में पदों के अनुपात में 10 गुना अभ्यर्थी शामिल होंगे। इंटरव्यू के लिए लगभग 5000 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। पीटी में एक-एक नंबर के 150 प्रश्न होंगे। गलत जवाब देने पर एक-तिहाई अंक कटेगा। अंतिम चयन सूची मेन्स और इंटरव्यू में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार होगी। ये जानकारी बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने शुक्रवार को दी। उन्होंने कहा कि 17 विभागों से 1929 पदों की अधियाचना प्राप्त हो गई है, दो अन्य विभागों के 35 पदों की जानकारी दी गई है। इसमें समाज कल्याण, नगर विकास, गृह विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक, एसटीएसी, वित्त सहित अन्य विभाग शामिल हैं।

इन पदों पर भर्ती होगी

अनुमंडल पदाधिकारी/वरीय उप समाहर्ता	200
पुलिस उपाधीक्षक (बिहार पुलिस सेवा)	136
राज्य कर आयुक्त (बिहार वित्त सेवा)	168
विभिन्न विभाग में	174
ग्रामीण विकास पदाधिकारी	393
राजस्व अधिकारी	287
आपूर्ति निरीक्षक	233
प्रखण्ड एससी/एसटी कल्याण पदाधिकारी	125
विभिन्न विभाग में	248

दो दिनों में होगी परीक्षा

• बीपीएससी 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 1964 पदों के लिए लगभग 8 से 10 लाख अभ्यर्थियों के आवेदन की संभावना है। परीक्षा दो दिनों में होगी। परीक्षा पैटर्न 69वीं परीक्षा के अनुरूप ही होगी।

कृषि आधारित उद्योगों से किसानों की आय में होगी वृद्धि : मुर्मु

राज्य ब्यूरो, जागरण ● रांची

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा है कि कृषि आधारित उद्योगों से किसानों की आय में वृद्धि होगी। झारखंड की बात करें तो जनजातीय समाज लाह उत्पादन से मुख्य रूप से जुड़ा है। अतः राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान (निसा) को किसानों की आय में वृद्धि के लिए इस दिशा में नए अनुसंधान करने चाहिए।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को निसा के शताब्दी समारोह में यह बात कही। उन्होंने लाह उत्पादन के क्षेत्र में हुए शोध से संबंधित प्रदर्शनी भी देखी।

इससे पहले मुर्मु ने कहा, झारखंड आना मेरे लिए तीर्थयात्रा की तरह है। भगवान बिरसा की इस भूमि को मैं तीर्थ की तरह नमन करती हूं। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में काम करने वाली दूसरी संस्थाओं के साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के इस केंद्र को काम करने की सलाह दी। कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों खासकर महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए कई काम किए हैं। कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी मौजूद थे।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में कहा, लाह महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के शताब्दी समारोह में शामिल हुईं राष्ट्रपति

द्रौपदी मुर्मु। फाइल

यह प्लास्टिक का विकल्प है। इससे पर्यावरण संरक्षण का काम हो रहा है। संस्थान के अधिकारियों से हुई बात के आधार पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि अब इस संस्थान से 1500 के स्थान पर 5000 किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमें किसान भाइयों और बहनों को लखपति बनाने की बजाय करोड़पति बनाने का काम करना चाहिए। यह संस्थान सौ साल का हो गया है लेकिन यह भी सच है कि इतने सालों में किसान अब खेतिहर मजदूर बन गए हैं।

किसानों की आय भी बढ़ाएगा विकिरण इकाइयों का विस्तार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- 24 वर्ष में लगीं 28 इररेडिएशन यूनिट, अब नई 50 इकाइयों की घोषणा
- बढ़ेगी खाद्य पदार्थों की संग्रहण अवधि, शीतगृहों में रखने की लागत होगी कम

किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का जोर अब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को अधिक प्रोत्साहन देने पर भी है। इसके तहत ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने देश में इररेडिएशन यूनिटों (विकिरण इकाइयों) की संख्या बढ़ाने का निर्णय किया है। इन इकाइयों में गामा-रे से उपचारित कृषि उपजों व खाद्य पदार्थों को सुरक्षित संग्रहित करने की अवधि बढ़ जाएगी। किसी भी तरह के रसायन से मुक्त इन पदार्थों को शीतगृह आदि में रखने की लागत कम आने का लाभ भी किसानों को मिलेगा।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में देश में 50 नई इररेडिएशन यूनिट लगाने की घोषणा की है। इसके लिए निजी कंपनियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। मंत्रालय एटामिक एनर्जी विभाग के अधीन संचालित भाभा एटामिक रिसर्च सेंटर (बार्क) के साथ काम कर रहा है। बार्क इस तकनीक पर वर्षों से काम कर रहा है। वर्ल्ड फूड इंडिया में आए बार्क के प्रतिनिधि ने कहा, इररेडिएशन यूनिट में खाद्य पदार्थ को सिर्फ गामा-रे से होकर गुजारा जाता है। इस विकिरण का कोई प्रभाव खाद्य पदार्थ पर नहीं पड़ता, बल्कि वह सूक्ष्म जीवों और कीटाणुओं से सुरक्षित हो जाता है। पदार्थ को संग्रहित करने की लागत घट जाती है। जैसे आलू को पांच-छह डिग्री तापमान पर संग्रहित करने की जरूरत होती है तो उसी पदार्थ को विकिरण के बाद 14-15 डिग्री तापमान पर संग्रहित किया जा सकता है। इससे बिजली की बचत होती है। उन्होंने कहा, भविष्य में इकाइयों की संख्या 500 तक पहुंचाने का लक्ष्य है। वर्ष 2000 से 2024 तक देश में सिर्फ 28 इररेडिएशन इकाइयां ही स्थापित हो सकी हैं।

लोकनीति विश्लेषक

सबके हित में है एक साथ चुनाव

देश में लोकसभा से लेकर राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनावों को एक साथ करवाने की कवायद लंबे समय से की जा रही है। इसमें सुधार के उद्देश्य से मोदी सरकार ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसी सप्ताह एक राष्ट्र-एक चुनाव पर इस समिति की संस्तुतियों को मंजूरी दे दी है। ऐसे में देश के सभी राजनीतिक दलों और संबंधित संस्थाओं को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए

सभी स्तरों के चुनाव एक साथ करवाने के अनेक लाभ हैं, परंतु इसकी राह में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। फाइल

भारत में निरंतर होने वाले चुनाव से अनेक प्रकार के नुकसान भी देखने में आ रहे हैं। ऐसे में एक साथ चुनाव कराने पर काफी समय से चर्चा चल रही है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र-एक चुनाव पर राम नाथ कोविन्द समिति की संस्तुतियों को मंजूरी दे दी है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट इस साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को सौंप दी थी। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में रिपोर्ट पर चर्चा की गई और सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी गई। इसका उद्देश्य लोकसभा के साथ सभी राज्यों के विधानसभा और स्थानीय निकायों का चुनाव कराना है। फिलहाल अभी इसकी राह इतनी आसान नहीं दिख रही है। इसे लागू करने के लिए सरकार को एक नहीं, बल्कि दो-दो संविधान संशोधन विधेयकों को पास कराना होगा, जिसके तहत संविधान में कई बदलाव करने पड़ेंगे। उल्लेखनीय है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले ही एक देश-एक चुनाव पर अपनी रिपोर्ट पेश की गई थी। हालांकि अब इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिल गई है। इसे आगामी शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। साथ ही, विभिन्न दल इस पर अपनी एकजुट राय पेश करेंगे। ।

लाभ : एक देश एक चुनाव के अनेक फायदे हैं, जो देश की प्रगति को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। देश में बार-बार चुनावों से खर्च होने वाली धनराशि बचेगी जिसका उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कार्यों में खर्च किया जा सकता है। एक साथ चुनाव से आर्थिक बोझ कम होगा, क्योंकि वर्ष 2009 लोकसभा चुनाव में 1,100 करोड़ रुपये और वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर यह चार हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया। वहीं सेंटर फार मीडिया स्टडीज (सीएमएस) की एक रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 60 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इसी प्रकार, राज्य विधानसभाओं के चुनाव में भी यही स्थिति नजर आती रही है। इसलिए पूरे देश में एकसाथ चुनाव कराने से चुनावी खर्च का आंकड़ा घटेगा। साथ ही बार-बार चुनाव के कारण आचार संहिताओं से राज्यों को दो चार होना पड़ता है, जिससे सभी प्रकार के विकास कार्य बाधित होते हैं। इससे शिक्षा क्षेत्र भी अत्यधिक दुष्प्रभावित होता है और अलग-अलग चुनाव से काले धन का अत्यधिक प्रवाह भी होता है। यदि एक साथ चुनाव होगा तो काले धन के प्रवाह पर निश्चित ही रोक लग सकेगी। साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने से आपसी सौहार्द बढ़ेगा, क्योंकि चुनाव में बार-बार जाति-धर्म के मुद्दे नहीं उठेंगे और आम आदमियों को भी तमाम परेशानियों से मुक्ति मिल सकेगी।

दो चरणों में चुनाव पर विचार : गौरतलब है कि सारे चुनाव एक साथ कराने के बजाय दो चरणों में कराने के फार्मूले पर काम करे, तो यह बहुत आसान हो जाएगा। अमेरिका में दो चरण में सारे चुनाव होते हैं। एक बार राष्ट्रपति का चुनाव होता है और फिर मध्यावधि चुनाव होते हैं। इस फार्मूले पर भारत में लोकसभा के साथ आधे राज्यों के चुनाव हो सकते हैं और उसके बाद दूसरे चरण में आधे राज्यों के चुनाव करवाए जा सकते हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के साथ या उससे छह महीने आगे पीछे अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव होते हैं। लोकसभा चुनाव से एक साल पहले कर्नाटक विधानसभा का और लगभग नौ महीने बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव होता है। इन चुनावों को लोकसभा के साथ वाले चरण में लाया जा सकता है। इसका एक फायदा यह भी है कि अगर किसी कारण से राज्यों में सरकार गिरती है तो दोबारा चुनाव के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। जो नजदीकी चरण होगा, उसमें उसका चुनाव हो जाएगा।

लेकिन एक साथ चुनाव में बड़ी समस्या है। इसमें विधानसभा के बीच में भंग नहीं होने का कानून भी बनाना होगा। अगर ऐसा कानून नहीं बनता है तो विधानसभाओं का कार्यकाल छोटा होगा या जोड़-तोड़ की सरकार बनेगी या राज्यों को राष्ट्रपति शासन में रहना पड़ेगा। इसलिए सरकार को सहमति और तार्किक पद्धति की ओर बढ़ना चाहिए और सभी दलों से मिलकर सहमति बनाकर किसी भी निर्णय पर पहुंचना चाहिए।

चुनौतियां : एक चुनाव देश के हित में विकास को परिलक्षित करता है। लेकिन इससे कुछ समस्याओं का सामना भी करना होगा। एक चुनाव से क्षेत्रीय पार्टियों पर संकट आ सकता है और उनके क्षेत्रीय संसाधन सीमित हो सकते हैं। क्षेत्रीय मुद्दे भी खत्म हो सकते हैं और चुनाव परिणाम में देरी भी हो सकती है। साथ ही, अतिरिक्त केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता होगी। अतः इनकी भारी संख्या मे नियुक्ति की जरूरत पड़ेगी। एकसाथ चुनाव कराने के लिए ईवीएम की पर्याप्त आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वर्तमान में 12 से 15 लाख ईवीएम का उपयोग किया जाता है। लेकिन जब एक चुनाव होंगे तो उसके लिए लगभग 30 लाख ईवीएम की आवश्यकता होगी। इसके साथ वीवीपैट भी लगाने होंगे। इन सब को पूरा करने के लिए चार से पांच हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। निश्चित ही पूंजीगत खर्च बढ़ेगा, लेकिन वहीं एक साथ चुनाव से से सार्वजनिक धन की बचत भी होगी। दूसरी ओर प्रशासनिक सेटअप और सुरक्षा बलों पर भार भी कम होगा तथा सरकार की नीतियों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा और यह भी सुनिश्चित होगा कि प्रशासनिक मशीनरी चुनावी गतिविधियों में संलग्न रहने के बजाय विकासात्मक गतिविधियों में लगी रहे।

दूर होंगी नीतिगत निर्णय लेने की अड़चनें

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

अनेक असमानताओं, विसंगतियों और विरोधाभासों के बावजूद भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सूत्र से बंधा है। निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्र को एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था देती है, जिससे भिन्न स्वभाव वाली राजनीतिक शक्तियों को केंद्रीय एवं प्रांतीय सत्ताओं में भागीदारी का अवसर मिलता है। परिणामस्वरूप लोकतांत्रिक प्रक्रिया गतिशील रहती है, जो देश की अखंडता एवं संप्रभुता के प्रति जवाबदेह है। देश में मानव संसाधन सबसे बड़ी पूंजी है। लिहाजा यदि बार-बार चुनाव की स्थितियां बनती हैं तो मनुष्य का ध्यान बंटता है और समय एवं पूंजी का क्षरण होता है। इस दौरान आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के कारण प्रशासनिक शिथिलता दो-ढाई महीने तक बनी रहती है, फलतः विकास कार्य और जन-कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होती हैं।

एक साथ चुनाव के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि देश प्रत्येक छह माह बाद चुनावी मूड में आ जाता है। ऐसे में सरकारों को नीतिगत फैसले लेने में तो अड़चनें आती हैं, दूसरे नीतियों को कानूनी रूप देने में अतिरिक्त विलंब भी होता है। यह तर्क अपनी जगह जायज है। वैसे भी राजनीतिक दलों की महत्ता तभी है, जब वे नीतिगत निर्णयों को अधिकतम लोकतांत्रिक बनाने के लिए अपने सुझाव दें एवं उन्हें विधेयक के प्रारूप का हिस्सा बनाने के लिए नैतिक दबाव बनाएं। ऐसा नहीं है कि एक साथ चुनाव का विचार कोई नया विचार है। वर्ष 1952 से लेकर 1967 तक चार बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव पूरे देश में एक साथ ही हुए। इंदिरा गांधी का केंद्रीय सत्ता पर वर्चस्व कायम होने के बाद राजनीतिक विद्वेष व बेजा हस्तक्षेप के चलते इस व्यवस्था में बदलाव आना शुरू हो गया। इंदिरा गांधी को राज्यों में विपक्ष की जो सरकार पसंद नहीं आती थी, उसे वह कोई न कोई बहाना ढूंढकर राष्ट्रपति से बर्खास्त करवा देती थीं। इससे मध्यावधि चुनावों की परिपाटी पड़ती चली गई।

चूंकि संविधान में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने का उल्लेख तो है, लेकिन दोनों चुनाव एक साथ कराने का हवाला नहीं है। संविधान में इन चुनावों का निश्चित जीवनकाल भी नहीं है। वैसे यह कार्यकाल पांच वर्ष के लिए होता है, लेकिन बीच में सरकार के अल्पमत में आ जाने के कारण या किसी अन्य कारण के चलते सरकार गिर या गिराई जा सकती है। केंद्रीय विधि आयोग ने 2018 में केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया था कि पांच साल के भीतर यदि सरकार के भंग होने की स्थिति बने तो 'रचनात्मक अविश्वास' मत हासिल किया जाए। मसलन, किसी सरकार को लोकसभा या विधानसभा के सदस्य अविश्वास मत से गिरा सकते हैं, तो इसके विकल्प में जिस दल या गठबंधन पर विश्वास हो या जिसे विश्वास मत हासिल हो जाए, उसे बतौर नई सरकार की शपथ दिला दी जाए।' कुछ विपक्षी दल एक साथ चुनाव के पक्ष में शायद इसलिए नहीं हैं, क्योंकि उन्हें आशंका है कि ऐसा होने पर जिस दल ने अपने पक्ष में माहौल बना लिया तो केंद्र व ज्यादातर राज्य सरकारें उसी दल की होंगी?

बार-बार चुनाव की स्थितियां निर्मित होने के कारण सत्ताधारी राजनीतिक दल को यह भय बना रहता है कि उसका कोई नीतिगत फैसला ऐसा न हो जाए कि दल के समर्थक मतदाता नाराज हो जाएं। लिहाजा सरकारों को अनेक प्रकार के लोकलुभावन फैसले भी लेने पड़ते हैं। वर्तमान में अमेरिका सहित अनेक ऐसे देश हैं, जहां एकसाथ चुनाव बिना किसी बाधा के संपन्न होते हैं। गोया, भारत में भी यदि एकसाथ चुनाव की प्रक्रिया यदि वर्ष 2029 से होती है तो केंद्र और राज्य सरकारें बिना किसी दबाव के देश व लोकहित में फैसले ले सकेंगी। सरकारों को पूरे पांच साल विकास और सुशासन को सुचारु रूप से लागू करने का अवसर मिलेगा।

US sees India as leader within Quad, says White House official

Agencies
letters@hindustantimes.com

WASHINGTON: The US sees India as a leader within the Quad and is grateful for New Delhi's role in the four-nation grouping, a top White House official has said.

The remarks by Mira Rapp-Hooper, White House National Security Council Senior Director for East Asia and Oceania, came two days ahead of the Quad summit, comprising leaders from Australia, India, Japan and the US. "When it comes to the role that we expect India to play, we expect and indeed see India as a leader within the Quad," she said on Thursday.

The best encapsulation of the way the US thinks about India's role is captured in Washington's Indo-Pacific Strategy, she added.

Since the release of the Indo-Pacific Strategy in February 2022, the US has taken historic strides to advance its vision for an Indo-Pacific region that is free and open, connected, prosperous, secure, and resilient. "...we say that the United States seeks an India that is increasingly a leader in the region and increasingly a partner with the United States," Rapp-Hooper said.

US President Joe Biden, Japanese Prime Minister Fumio Kishida, PM Narendra Modi and Australian PM Anthony Albanese during the Quad Leaders Summit in Tokyo in May. AFP/FILE

"Through the Quad, we are increasingly working on projects in South Asia, which, of course, is a huge strategic priority for the government in Delhi, and we're grateful for India's leadership," she added. US President Joe Biden will host Prime Minister Narendra Modi, Prime Minister Anthony Albanese of Australia and Prime Minister Kishida Fumio of Japan for the fourth in-person Quad Leaders' Summit on Saturday.

"The Quad has been an ideal venue through which, rather, we can work together because it not only allows for the critical exchange of strategic views where, of course, we are, as I say, increasingly aligned, but also it allows us to identify opportunities and priorities that not only matter to the United States or its traditional treaty allies like Australia and Japan but really matter to India," Rapp-Hooper said.

Modi is set to begin his three-day visit to the United States starting Saturday morning. The visit will see PM Modi engage in high-level meetings with world leaders, attend the annual Quad summit, and participate in discussions at the United Nations.

The first programme on the PM's agenda will be the annual Quad summit to be held in

continued on →7

Bombay HC strikes down Centre's amended IT rules

The revised rules had empowered Centre to set up a fact check unit to identify 'fake' news; they violate right to equality and freedom of speech guaranteed by Constitution, says 'tie-breaker judge'

Purnima Sah
MUMBAI

The Bombay High Court on Friday struck down the amended Information Technology Rules, 2023, which empowered the Centre to set up a fact check unit (FCU) to identify fake, false and misleading information about the government and its establishments on social media.

The "tie-breaker" judge, Justice Atul Sharachchandra Chandurkar, delivered the verdict on Friday after a Division Bench of Justices Gautam Patel and Neela Gokhale delivered a split verdict on January 31, 2024.

Justice Chandurkar said the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules, 2023, violated Article 14 (right to equality), 19 (freedom of speech and expression) and 19(1)(g) (freedom and right to profession) of the Constitution".

Road to verdict

The fact check unit of Ministry of Electronics and IT has faced criticism since it was established on April 6, 2023.
The case against the Centre's amendment has concluded after over a year. **Highlights:**

April 10, 2023: Satirist Kunal Kamra files a petition in Bombay HC against the amendments to the Act, calling them "arbitrary, violating fundamental rights of speech and expression and vague"; Editors Guild of India and the Internet Freedom Foundation join the plea later

April 24: IT rules amendment does not seem to offer protection to parody and satire, observes Bombay HC

Jan. 31, 2024: Court delivers a split verdict with Justice Patel favouring the petitioners and Justice Gokhale upholding the amendment

Feb. 8: The case is placed before Justice Chandurkar

March 21: SC stays setting up of FCU to monitor social media content about the government

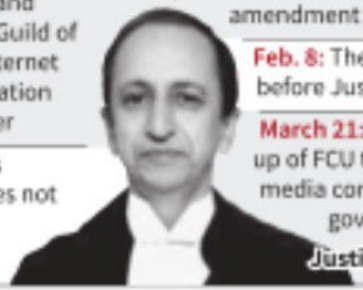

Justice Chandurkar

The expression "fake, false and misleading" in the Rules was "vague and hence wrong" in the absence of any definition, he added.

"The impugned Rule also results in a chilling effect qua an intermediary," the judge said.

Set up in 2023

In April 2023, the Ministry of Electronics and IT (MEiTY) established the FCU by amending the IT Rules, 2021.

Subsequently, political satirist and stand-up artist Kunal Kamra, the Editors Guild of India, the News Broadcasters and Digital Association and the Association of India Magazines (AIM) through the Internet Freedom Foundation filed a writ petition in the Bombay High Court against the IT Amendment Rules, 2023, calling them "arbitrary, violating fundamental rights of speech and expression and vague".

CONTINUED ON
» PAGE 8